सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 101/2013 दायर दिनाँक 30.05.2013

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जैतून उर्फ नूरी पत्नी गवरू, (फौत), 2. कयूम पुत्र गवरू, उम्र–52साल, 3. रमजान पुत्र गवरू, उम्र–48साल, समस्त,जाति–व्यापारी (मुस्लिम), निवासी–फतेहपुरी गेट, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अब्दुल रहमान पुत्र गुलाम, उम्र–62साल, जाति–व्यापारी, निवासी–आस की ढाणी, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. उस्मान पुत्र गुलाम, उम्र–50साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. सईदन पुत्री गुलाम, उम्र–55साल, जाति–व्यापारी, निवासी–आस की ढाणी, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. जीकरू रहमान पुत्र गनी, उम्र–58साल, जाति–व्यापारी, निवासी–आस की ढाणी, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. आलम पुत्र गनी, उम्र–48साल, जाति–व्यापारी, निवासी–आस की ढाणी, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. राबिया पुत्री गनी, जाति–व्यापारी, निवासी–आस की ढाणी, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. मुनी पुत्री गनी, निवासी–आस की ढाणी, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. कलाम पुत्र गेन्दा, उम्र–58साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. अताऊर्रहमान पुत्र गेन्दा, उम्र–58साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. हारून पुत्र गेन्दा, उम्र–56साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. कालु पुत्र गेन्दा, उम्र–51साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–101/2013
दायर दिनाँक 30.05.2013, निर्णय दिनाँक 13.11.2017
जैतून उर्फ नूरी, वगैरा बनाम् अब्दुल रहमान, वगैरा।

		12. जमील पुत्र गेन्दा, उम्र–48साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. साबिर पुत्र गेन्दा, उम्र–45साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. सकुरन पुत्री गेन्दा, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. मरियम पुत्री गेन्दा, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. मदीना पुत्री गेन्दा, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. मोहम्मद हनिफ पुत्र चान्द, उम्र–47साल, 18. आरीफ पुत्र स्व0 सलीम, 19. अल्ताफ पुत्र स्व0 सलीम, 20. अब्दुल पुत्र स्व0 सलीम, 21. समीर पुत्र स्व0 सलीम, 22. आसीफ पुत्र स्व0 सलीम, 23. आसमा बानो पुत्र स्व0 सलीम, 24. फरीयाना पुत्री स्व0 सलीम, 25. मेमूना बानो पत्नी स्व0 सलीम, जातिगण–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 26. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रकुमार माथुर, अधिवक्ता, वादीगण संख्या 02 व 03 की ओर से।
2. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 07 ता 13 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **05.03.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 25 स्वर्गीय अब्दुला उर्फ दुला उर्फ दोला के वारिशान् है, जिनकी वशावली अनुसूची "क" है जो वाद–पत्र का भाग है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–101/2013
दायर दिनाँक 30.05.2013, निर्णय दिनाँक 05.03.2018
जैतून उर्फ नूरी, वगैरा बनाम् अब्दुल रहमान, वगैरा।

वादीगण व प्रतिवादीगण के बडेरे स्वर्गीय दुला पुत्र समन्न की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि वाकै राजस्व ग्राम आस की ढाणी में खसरा नम्बर 1776, 1777, 1779 व 1870 कुल रकबा 34.16 बीघा अवस्थित है।

सम्वत् 2010 रिकॉर्ड की गिरदावरी के मुताबिक पुराना खसरा नम्बर 1827 रकबा 37.17 बीघा दुला व्यापारी के काश्त में आया तथा सम्वत् 2011 के राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी में उक्त दुला उर्फ अब्दुला की काश्त खसरा नम्बर 1826 में करीब 06.07 बीघा पर अतिरिक्त रूप से भी यानि दुला के पास करीब 44 बीघा खेत था जिसका आगे चलकर सम्वत् 2014 से 2017 तक राजस्व रिकॉर्ड खतौनी में रकबा 42.02 बीघा का इन्द्राज मिलता है जो और आगे की सम्वत् 2022 से 2025 में दुला के बेटों के नाम रकबा 34.16 बीघा अंकित होना मिलता है।

इसी दौरान जब रकबा 44 बीघा भूमि उक्त दोला के पास में थी तब उनके एक पुत्र स्वर्गीय गबरू जो कि कानों से काफी कुछ बौड़े थे अर्थात् हार्ड हियरिंग वाला व्यक्ति था, की निगाह नहीं हो रही थी तब दोला के सभी पुत्रों ने मिल बैठकर तय किया कि उक्त गबरू के किसी अपंग/अपाहिज जैसी भी औरत मिले, उससे निकाह करा दिया जावे उसको सभी भाइयों की ओर से मिलकर महर में उक्त रकबा 44 बीघा भूमि दे दी जावे। तब वादीगण संख्या 01 जैतुन जो बाल्य अवस्था से ही पोलियो से ग्रस्त थी व दौनों पैर उसके पोलियोग्रस्त हो चुके थे तथा अपने हाथों के सहारे चलती थी उक्त गबरू का निकाह सब भाइयों ने मिलकर कराया एवं निकाह के दौरान परिवार की उक्त रकबा 44 बीघा कृषि भूमि जैतुन को मेहर में दी गयी जिसके साक्षी निकाह के वक्त उपस्थित काजी के रजिस्टर में है जो कि उर्दू भाषा में लिखी गयी है, जिसकी छायाप्रति व बिन्दुवार हिन्दी अनुवाद पेश है।

उक्त रकबा 44 बीघा भूमि जिसका पुराना खसरा नम्बर 1827, 1826 आदि है, के नये खसरा नम्बर 1776, 1777, 1779 व 1870 हुए। समस्त भूमि वर्तमान रकबा 34.16 बीघा कानूनन् अकेली जैतुन की खातेदारी हक हकुकों की होती है तथा उसकी खातेदारी प्रतिवादीगण के बजाय अकेली जैतुन अपने नाम कराने का हक अधिकार रखती है एवं इसी प्रयोजन से यह वाद जैतुन की तरफ से पेश किया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नम्बर 1776, 1777, 1779 व 1870 की खातेदारी जैतुन के नाम से की जाकर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे, इस हेतु वाद पेश है।

विकल्प में यदि सम्पूर्ण भूमि रकबा 34.16 बीघा किसी भी कारण से न्यायालय वादीया जैतुन अकेली के नाम मेहर में प्राप्त होना साबित नहीं माने तो विकल्प है कि जब वर्ष 1974 में वादीया जैतुन पत्नी गबरू के जेठ गुलाम, गेन्दा, अब्दुल गनी तथा देवर चान्द ने अपनी नियत खराब की तथा अपाहित औरत को मेहर में दी गयी कृषि भूमि से वापस आनाकानी करने लगे तो अज्ञान, अनपढ, अपाहिज भोली प्रवृत्ति की उक्त विधवा महिला वादीया जैतुन ने दिनाँक 04.06.1974 को बएवज कीमत रूपये 99/– अक्षरे निनानवे रूपये उक्त विक्रेतागण गुलाम मो, गेन्दा, चान्द तथा अब्दुल गनी को नकद अदा कर उक्त कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 1779, 1870 व 1776 कुल रकबा 20.08 बीघा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया जिससे उक्त 20.08 बीघा कृषि भूमि की हक अधिकारीनी व खातेदारी अधिकार अकेली वादीया जैतुन का है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या-101/2013
दायर दिनांक 30.05.2013, निर्णय दिनांक 08.03.2018
जैतून उर्फ भूरी, वगैरा बनाम अब्दुल रहमान, वगैरा।

एवं वादीया विकल्प में यह अनुतोष इस वाद में चाहती है कि उक्त 20.08 बीघा भूमि की खातेदारी वादीया अकेली के नाम घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे व वादी जैतुन के नाम दर्ज की जावे।

उपर्युक्त प्रकार से बतौर क्रेता रकबा 20.08 बीघा भूमि वादीया जैतुन की पृथक की जाकर वादीया का नाम पृथक दर्ज किया जावे तथा शेष खसरा नम्बर 1777 रकबा 14.08 बीघा कृषि भूमि का बन्टवारा बाई मीद्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर उक्त रकबा में से वादी पक्ष का जरिये बन्टवारा हिस्सा पृथक किया जाकर वादीगण जैतुन व उसके पुत्रों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में उनका हिस्सा दर्ज किया जाने हेतु यह वाद पेश है। उपर्युक्त प्रकार से रकबा 20.08 बीघा भूमि तथा रकबा 14.08 बीघा भूमि में से जो भी हिस्सा वादीगण को कानूनन् प्राप्त होता है, इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में जारी करने हेतु यह वाद पेश है।

वाद हेतुक समस्त कृषि भूमि वादीया जैतुन को मेहर में दी गयी होने से तथा वैकल्पिक वाद हेतुक वर्ष 1974 में जैतुन द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त करने से तथा अब उसकी अज्ञानता व मजबूरी का फायदा उठाकर समस्त प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम रख लेने से समस्त प्रतिवादीगण ने हक तर्कनामा के जैतुन के नाम भूमि दर्ज करा देने का आश्वासन देने व उसके पश्चात् पुनः इन्कार कर देने से वमुकाम् डीडवाना उत्पन्न हुआ व लगातार हो रहा है।

वादी पक्ष की प्रार्थना है कि–

वादी पक्ष का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे। वाद निहित समस्त कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1776, 1777, 1779 व 1870 कुल रकबा 34.16 बीघा शरहद आस की ढाणी की खातेदारी वादीया के नाम घोषित की जावे तथा प्रतिवादी के स्थान पर वादीया अकेली का नाम अमल दरामद किया जावे। खसरा नम्बर 1776, 1779 व 1870 अकेली वादीया के नाम खातेदारी घोषित की जाकर उसके नाम अमल दरामद किया जावे व शेष खसरा नम्बर 1779 रकबा 08.03 बीघा शरहद आस की ढाणी का बाईमीद्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा किया जाकर उसमें से वादीगण का हक हिस्सा, बन्ट पृथक कर उसे राजस्व रिकॉर्ड में तद्नुसार दर्ज किया जाने की डिक्री फरमावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 26 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 06 व 14 ता 26 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 07 ता 13 की ओर से जवाब पेश हुआ।

वकील वादी व प्रतिवादी ने अपनी-अपनी साक्ष्य बन्द करवाई तथा सीधी बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त वादीगण व प्रतिवादीगण के बडेरे स्वर्गीय दुला पुत्र समन्न की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि वाकै राजस्व ग्राम आस की ढाणी में खसरा नम्बर 1776, 1777, 1779 व 1870 कुल रकबा 34.16 बीघा अवस्थित है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–101/2013
दायर दिनाँक 30.05.2013, निणर्य दिनाँक 05.03.2018
जैतून उर्फ नूरी, वगैरा बनाम् अब्दुल रहमान, वगैरा।

सम्वत् 2010 रिकॉर्ड की गिरदावरी के मुताबिक पुराना खसरा नम्बर 1827 रकबा 37.17 बीघा दुला व्यापारी के काश्त में आया तथा सम्वत् 2011 के राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी में उक्त दुला उर्फ अब्दुला की काश्त खसरा नम्बर 1826 में करीब 06.07 बीघा पर अतिरिक्त रूप से भी यानि दुला के पास करीब 44 बीघा खेत था जिसका आगे चलकर सम्वत् 2014 से 2017 तक राजस्व रिकॉर्ड खतौनी में रकबा 42.02 बीघा का इन्द्राज मिलता है जो और आगे की सम्वत् 2022 से 2025 में दुला के बेटों के नाम रकबा 34.16 बीघा अंकित होना मिलता है।

इसी दौरान जब रकबा 44 बीघा भूमि उक्त दोला के पास में थी तब उनके एक पुत्र स्वर्गीय गबरू जो कि कानों से काफी कुछ बौड़े थे अर्थात् हार्ड हियरिंग वाला व्यक्ति था, की निकाह नहीं हो रही थी तब दोला के सभी पुत्रों ने मिल बैठकर तय किया कि उक्त गबरू के किसी अपंग/अपाहिज जैसी भी औरत मिले, उससे निकाह करा दिया जावे उसको सभी भाइयों की ओर से मिलकर महर में उक्त रकबा 44 बीघा भूमि दे दी जावे। तब वादीगण संख्या 01 जैतुन जो बाल्य अवस्था से ही पोलियो से ग्रस्त थी व दौनों पैर उसके पोलियोग्रस्त हो चुके थे तथा अपने हाथों के सहारे चलती थी उक्त गबरू का निकाह सब भाइयों ने मिलकर कराया एवं निकाह के दौरान परिवार की उक्त रकबा 44 बीघा कृषि भूमि जैतुन को मेहर में दी गयी जिसके साक्षी निकाह के वक्त उपस्थित काजी के रजिस्टर में है जो कि उर्दू भाषा में लिखी गयी है, जिसकी छायाप्रति व बिन्दुवार हिन्दी अनुवाद पेश है।

उक्त रकबा 44 बीघा भूमि जिसका पुराना खसरा नम्बर 1827, 1826 आदि है, के नये खसरा नम्बर 1776, 1777, 1779 व 1870 हुए। समस्त भूमि वर्तमान रकबा 34.16 बीघा कानूनन् अकेली जैतुन की खातेदारी हक हकुकों की होती है तथा उसकी खातेदारी प्रतिवादीगण के बजाय अकेली जैतुन अपने नाम कराने का हक अधिकार रखती है एवं इसी प्रयोजन से यह वाद जैतुन की तरफ से पेश किया था। वादीनी जैतुन उर्फ नूरी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिश वादीगण संख्या 02 व 03, पुत्र हैं इनके अतिरिक्त वादीनी का अन्य कोई वारिश नहीं है जिसका प्रार्थना–पत्र वादीगण द्वारा दिनाँक 13.05.2015 को प्रस्तुत कर दिया गया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नम्बर 1776, 1777, 1779 व 1870 की खातेदारी मेरी माता जैतुन उर्फ नूरी के नाम से की जाकर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे, परन्तु मेरी माता का स्वर्गवास दौराने वाद हो चुका है इसलिए विधिक वारिशान् की हैसियत से हम वादी संख्या 02 कयूम पुत्र गवरू वादी संख्या 03 रमजान पुत्र गवरू ही वारिश होने के कारण उपयुक्त खेताय की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। विकल्प में यदि सम्पूर्ण भूमि रकबा 34.16 बीघा किसी भी कारण से न्यायालय वादीया जैतुन अकेली के नाम मेहर में प्राप्त होना साबित नहीं माने तो विकल्प है कि जब वर्ष 1974 में मेरी माता वादीया जैतुन उर्फ नूरी पत्नी गबरू के जेठ गुलाम, गेन्दा, अब्दुल गनी तथा देवर चान्द ने अपनी नियत खराब की तथा अपाहित औरत को मेहर में दी गयी कृषि भूमि से वापस आनाकानी करने लगे तो अज्ञान, अनपढ, अपाहिज भोली प्रवृत्ति की उक्त विधवा महिला वादीया जैतुन ने दिनाँक 04.06.1974 को बएवज कीमत रूपये 99/– अक्षरे निनानवे रूपये उक्त विक्रेतागण गुलाम मो, गेन्दा, चान्द तथा अब्दुल गनी को नकद अदा कर उक्त कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 1779, 1870 व 1776 कुल रकबा 20.08 बीघा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया जिससे उक्त 20.08 बीघा कृषि भूमि की हक अधिकारीनी व खातेदारी अधिकार अकेली मेरी माता वादीया जैतुन उर्फ नूरी का था एवं हम वादीगण विकल्प में यह अनुतोष इस वाद में चाहते हैं कि उक्त

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–101/2013
दायर दिनाँक 30.05.2013, निर्णय दिनाँक 05.03.2018
जैतून उर्फ नूरी, वगैरा बनाम् अब्दुल रहमान, वगैरा।

20.08 बीघा भूमि की खातेदारी मेरी माता जैतुन उर्फ नूरी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् हम वादीगण के नाम घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे व वादीगण संख्या 02 व 03 कयूम व रमजान के नाम दर्ज की जावे।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण ने जा वंशावली पेश की है वह गलत है। स्व0 दुला के कुल 6 पुत्र तथा 3 पुत्रिया हुई। उक्त वाद में नॉन जोईन्डर मिस जोइन्डर पार्टी का नुक्श है। इस कारण से भी वाद खारीज किये जाने योग्य है। दुलाजी के पांच पुत्र मुनीर के अलावा सभी का राजस्व रेकर्ड में बराबर हक अधिकार में नाम दिया हुआ है तथा उक्त खेत का नाम 34 बीघा 16 बिस्वा ही है। गवरू के बोडे होने के तथ्य पूर्ण रूप से गलत है तथा निकाह में 44 बीघा भूमि देने का तथ्य पूर्ण रूप से गलत है। वादीगण द्वारा एक फर्जी इकरारनामा तैयार किया गया है तथा उस पर गुलाम, गेन्दा, अब्दुल गनी तथा चॉद के कुट रचित एवं फर्जी हस्ताक्षर भी ईकरारनामा पर किये गये है। गुलाम, गेन्दा, अब्दुल गनी तथा चॉद के द्वारा कभी भी किसी प्रकार का कोई भी ईकरारनामा जैतुन के नाम नहीं लिखा गया। ईकरारनामें के आधार पर श्रीमान के न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना ही गलत है। अतः वादिनी का वाद खारिज किया जावें।

बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपारान्त वादीगण ने वाद एक ईकरारनामा के आधार पर किया है जो डिक्री किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

वादीगण का वाद आधारहीन व सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **05.03.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 101/2013

दायर दिनाँक 30.05.2013

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जैतून उर्फ नूरी पत्नी गवरू, (फौत), 2. कयूम पुत्र गवरू, उम्र–52साल, 3. रमजान पुत्र गवरू, उम्र–48साल, समस्त,जाति–व्यापारी (मुस्लिम), निवासी–फतेहपुरी गेट, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अब्दुल रहमान पुत्र गुलाम, उम्र–62साल, जाति–व्यापारी, निवासी–आस की ढाणी, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. उस्मान पुत्र गुलाम, उम्र–50साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. सईदन पुत्री गुलाम, उम्र–55साल, जाति–व्यापारी, निवासी–आस की ढाणी, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. जीकरू रहमान पुत्र गनी, उम्र–58साल, जाति–व्यापारी, निवासी–आस की ढाणी, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. आलम पुत्र गनी, उम्र–48साल, जाति–व्यापारी, निवासी–आस की ढाणी, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. राबिया पुत्री गनी, जाति–व्यापारी, निवासी–आस की ढाणी, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. मुनी पुत्री गनी, निवासी–आस की ढाणी, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. कलाम पुत्र गेन्दा, उम्र–58साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. अताऊर्रहमान पुत्र गेन्दा, उम्र–58साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. हारून पुत्र गेन्दा, उम्र–56साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. कालु पुत्र गेन्दा, उम्र–51साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. जमील पुत्र गेन्दा, उम्र–48साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. साबिर पुत्र गेन्दा, उम्र–45साल, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. सकुरन पुत्री गेन्दा, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. मरियम पुत्री गेन्दा, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		16. मदीना पुत्री गेन्दा, जाति–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. मोहम्मद हनिफ पुत्र चान्द, उम्र–47साल, 18. आरीफ पुत्र स्व0 सलीम, 19. अल्ताफ पुत्र स्व0 सलीम, 20. अब्दुल पुत्र स्व0 सलीम, 21. समीर पुत्र स्व0 सलीम, 22. आसीफ पुत्र स्व0 सलीम, 23. आसमा बानो पुत्र स्व0 सलीम, 24. फरीयाना पुत्री स्व0 सलीम, 25. मेमूना बानो पत्नी स्व0 सलीम, जातिगण–व्यापारी, निवासी–फतेहपुरी गेट के बाहर, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 26. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **05.03.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रामगोपाल अग्रवाल, अधिवक्ता वादी सं0 01 व श्री राजेन्द्र माथुर अधिवक्ता, वादी सं0 02 व 03 व की ओर से व श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 07 ता 13 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद आधारहीन व सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.03.2018** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner